प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ :दिनांक : 04 अक्टूबर, 2018

विषय : जनपद गाजियाबाद में हिण्डन एयरपोर्ट को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, नागरिक उड्डयन उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-318/ना0उ0नि0/2018, दिनांक 12 सितम्बर, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद गाजियाबाद में हिण्डन एयरपोर्ट को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि, जिसके द्वारा कृषकों की कुल भूमि 4896.00 वर्ग मीटर के क्रय हेतु आंकलित धनराशि रू0 4,74,42,000/- (रूपए चार करोड़ चौहत्तर लाख बयालीस हजार मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद गाजियाबाद में स्थित हिण्डन एयरपोर्ट को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने हेतु कृषकों से 4896.00 वर्ग मीटर भूमि को क्रय करने के लिए आंकलित लागत रू0 4,74,42,000/- (रूपए चार करोड़ चौहत्तर लाख बयालीस हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस परियोजना पर रू0 4,74,42,000/- (रूपए चार करोड़ चौहत्तर लाख बयालीस हजार मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों व प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा स्वीकृत धनराशि आहरित कर नियमानुसार लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी तथा भूमि को लोक निर्माण विभाग द्वारा लोक निर्मण विभाग के नाम क्रय किया जाएगा। आवश्यक भूमि लोक निर्माण विभाग द्वारा भू-स्वामियों से अपसी समझौते के आधार पर क्रय की जाएगी।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

4- स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

5- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति परियोजना के सम्बन्ध में निदेशक, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि परियोजना के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा।

6- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

7- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 4,74,42,000/- (रूपए चार करोड़ चौहत्तर लाख बयालीस हजार मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा आहरित कर तत्काल लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या:ई-7-917/दस-2018, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

3/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-103/2018/1794(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम, उ0प्र0] इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त, मेरठ।
4- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
5- मुख्य कोषाधिकारी] जवाहर भवन] लखनऊ।
6- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
8- लोक निर्माण विभाग, अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।
9- समीक्षा अधिकारी, (बजट)।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।